न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर

क्रमांक – रीडर/19/ 101 दिनांक 28/8/19

–: आदेश :–

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक राजस्व(ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र पत्रांक प.3 राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जानी है।

उक्त रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 53,59,60,66 एवं 86 के अनुसार तहसीलदार बिजयनगर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व अनुशंषा अनुसार भूमि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में गै.मु. रास्ता एवं नक्शे में लाल स्याही से अंकन करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बिजयनगर उक्त आदेश के अनुसार पालना सुनिश्चित कर 15 दिवस में मय रेकार्ड की प्रति सहित पालना प्रेषित करे।

पटवार मण्डल :– जीवाणा तहसील :– बिजयनगर

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि							नवीन(रास्ता हेतु) प्रविष्टि		
क्र. सं.	पोर्टल क्रमांक	तहसीलदार मसूदा के पत्रांक नम्बर मय दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा न.	कुल रकबा (बीघा)	किस्म जमीन	खसरा न.	रकबा(बीघा)	किस्म जमीन
1	2019/00297	–	जीवाणा	836	4.4737 हैक्ट.	बरड़ा	836/1	0.2207 है.	गै.मु. रास्ता
2	2019/00296	–	जीवाणा	3104/1344	11.5687 हैक्ट.	दांती	3104/1344/1	0.8343 है.	गै.मु. रास्ता

नोटः– अवशेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.एम.)मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.11.21 16:21:33 IST
Reason: SelfAttested